

R 70388
5/7/2019 19 ①

संख्या- /2019 /वे03A0-2-441/दस-2019-4(एम)/2016

प्रेषक,

संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक : 26 जून, 2019

विषय- पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन निर्धारण।

महोदय,

सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के फलस्वरूप राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू की गयी पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की संरचना सम्बन्धी शासनादेश संख्या-67/2016/वे03A0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-(2) में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के विकल्प का चयन करने का प्राविधान किया गया है और यह भी कहा गया है कि एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम होगा। कुछ कर्मचारियों को हुई कठिनाईयों को देखते हुये इस बात की आवश्यकता महसूस की गयी है कि कर्मचारियों को अपना विकल्प चुनने का एक और अवसर दिया जाय। समान कठिनाई के निवारणार्थ व्यय विभाग वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या-4-13/17/आई0सी0/ई0-III(ए), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 द्वारा भारत सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के लिये अपना विकल्प पुनः चुनने का एक और अवसर दिया गया है।

2- उपर्युक्त के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय द्वारा यह स्वीकृति प्रदान की गयी है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्त में छूट देते हुये राज्य सरकार के ऐसे कर्मचारियों को जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का चयन पहले ही कर चुके हैं, उन्हें अपने पहले विकल्प को आदेश जारी होने की तिथि से 03 माह के अन्दर संशोधित करने का एक और अवसर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20238
RMSL

SSADR-54

(1)

संशोधित विकल्प अंतिम होगा और किसी भी परिस्थिति में आगे कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। शासनादेश संख्या-67/2016/वे03A0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

3- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने का विकल्प चुना है या जिनके मामले में संशोधित वेतन संरचना दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू है और जो उक्त शासनादेश दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 के प्रस्तर-2 के अनुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद की तारीख से इन आदेशों के तहत संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प का पुनः प्रयोग करेंगे, उनसे दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना में शामिल होने के अपने विकल्प के चयन की तारीख तक आहरित संशोधित वेतन के फलस्वरूप उन्हें दी गयी बकाया राशि वसूल ली जायेगी।

भवदीय,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- /2019/वे03A0-2-441(1)/दस-2019, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-I एवं II तथा (आडिट)-I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
- 4- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग/इरला चेक अनुभाग।
- 7- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- गार्ड फाइल।

आज से,

(सरयू प्रसाद मिश्र)
विशेष सविवा।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सन्तापित की जा सकती है।